न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 53–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–10–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर प्रकरण क्रमांक 474/अपील/2013–14.

1– मनोज कुमार पिता सुमति कुमार कासलीवाल
निवासी 16–17, गुलमोहर कॉलौनी, इन्दौर
2– श्रीमती उमंगबाला पति जितेन्द्र कुमार देसाई
निवासी 484, महात्मा गांधी मार्ग, इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती केसरबाई पति स्व. बाबुलाल बैरागी
2– रमेश पिता स्व. बाबुलाल बैरागी
3– जगदीश पिता स्व. बाबुलाल बैरागी
4– सत्यनारायण पिता स्व. बाबुलाल बैरागी
5– श्यामलता पिता स्व. बाबुलाल बैरागी
समस्त निवासीगण ग्राम मांग्लया सड़क
तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री के.के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/7/15 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त, इन्दौर के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी, सांवेर जिला इन्दौर के आदेश दिनांक 12–5–2011 के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक 474/अपील/2013–14 लम्बित रखने के दौरान आवेदकगण द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर उसके संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने का निवेदन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29–10–2014 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रचलित वर्ष 1998 से 2011 के बीच का हैं । उक्त दस्तावेजों को अधीनस्थ न्यायालय में न तो प्रस्तुत किये गये हैं, और न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हें ग्रहण करने से इन्कार किया गया गया है । ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज अतिरिक्त साक्ष्य के बतौर ग्रहण योग्य नहीं हैं, आवेदकगण का आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 49 के उद्देश्यों के विपरीत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र के सलग्न दस्तावेज अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किये जाने में सहायक हो सकते हैं, और शंका से परे हैं, अतः उक्त दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाना चाहिए था । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धरा 49 के अन्तर्गत अपीलीय प्राधिकारी को अतिरिक्त साक्ष्य ग्रहण करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अन्तर्गत आवेदकगण की ओर से जो आवेदन पत्र अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं, वह प्रकरण के निराकरण के लिए प्रासंगिक नहीं हैं । यदि उक्त दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिए सहायक होते तो आवेदकगण उक्त दस्तावेज अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते । आवेदकगण की ओर से उक्त दस्तावेज अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं । अतः अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह नहीं दर्शाया गया है कि उक्त दस्तावेज किस प्रकार प्रकरण के निराकरण के लिए सहायक हो सकते हैं। इस आधार पर कहा गया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय न्यायालय प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करेंगें और आवश्यकता होने पर अतिरिक्त साक्ष्य लेंगें । अतः उपरोक्त संशोधन के प्रकाश में अपर आयुक्त को आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार कर दस्तावेज अभिलेख पर लेना चाहिये थे, परन्तु इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिक त्रुटि की गई है । यहां यह भी विचारणीय प्रश्न है कि यदि अपर आयुक्त आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लेते है तो अनावेदकगण को उक्त दस्तावेज के प्रति परीक्षण का अवसर उपलब्ध रहेगा । इस प्रकार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि आवेदकगण की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाये । तदोपरान्त उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जांये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर